बिहार बाल भवन 'किलकारी'

मासिक एवं दैनिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन

किलकारी

किलकारी
बिहार बाल भवन
राजेन्द्रनगर, सैदपुर, पटना- 800 004

मासिक एवं दैनिक किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु

'किलकारी' बिहार बाल भवन को कार्यालय उपयोग हेतु मासिक एवं दैनिक किराये पर चारपहिया वाहन (SUV / MUV) की आवश्यकता है। मासिक किराये की गाड़ी 10,000 कि0मी0 से ज्यादा न चली हो। इस सेवा हेतु निबंधित संस्थाओं से दिनांक 20/12/2017 (अपराह्न 05:00 बजे) तक एक लिफाफे में मुहर बंद निविदा (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग) आमंत्रित की जाती है। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षर में ''मासिक एवं दैनिक किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा'' लिख दें। निम्न शर्तों को पूरा करने वाली संस्था सभी आवश्यक कागजातों के साथ किलकारी कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं-

1. संस्था निबंधित हो तथा संबंधित क्षेत्र में कम-से-कम एक वर्ष का कार्यानुभव हो।
2. संस्था का न्यूनतम तीन लाख का वार्षिक (वित्तीय वर्ष 2016-17) टर्नओवर हो।
3. संस्था का पटना में स्थानीय कार्यालय हो।
4. वाहन का व्यावसायिक निबंधन, रोडटैक्स, PUC तथा बीमा अद्यतन हो।
5. SUV एवं MUV गाड़ी का दर अलग-अलग अंकित करें।
6. 'बिहार बाल भवन किलकारी' के नाम का रु० 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र का डी.डी. जो पटना में भुगतेय हो, तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। यह राशि नन रिफंडेबल होगी।

उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाली संस्था www.kilkaribihar.org से तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का प्रपत्र प्राप्त कर सकते है। दिनांक 21/12/2017 को अपराह्न 03:00 बजे तक प्राप्त सभी निविदा खोली जाएगी। निविदा खोलते समय संस्था/फर्म के प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। पहले तकनीकी निविदा खोली जाएगी। तकनीकी निविदा की शर्तों को पूरा करने वाली संस्था के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा। संतोषजनक सेवा के उपरान्त आवश्यकतानुसार एकरारनामा का अवधि विस्तार किया जा सकता है। फर्म/संस्था को पैनल में रखने एवं निविदा को बिना कारण बताये रद्द करने या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार किलकारी कार्यालय को होगा।

दूरभाष सं०- 0612-2661211, 7463878822
वेबसाईट:- www.kilkaribihar.org

(ज्योति परिहार)
निदेशक

बिहार बाल भवन 'किलकारी'

मासिक एवं दैनिक किराये पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु

निविदा संबंधित सामान्य नियम एवं शर्तें

1. निविदादाता एजेंसी (संस्था/ प्रोपराइटरशिप/ पार्टनरशिप/ कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत) पंजीकृत होना अनिवार्य होगा| पंजीकरण का स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा|
2. संस्था का पटना में स्थानीय कार्यालय हो।
3. एजेंसी का किसी भी सरकारी अथवा गैर-सरकारी संस्थान में कम-से-कम एक वर्ष तक संबंधित क्षेत्र में कार्य के प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा|
4. एजेंसी का आयकर पंजीकरण अनिवार्य है| आयकर सम्बंधी पंजीकरण की स्वप्रमाणित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा|
5. एजेंसी का पिछले वित्तीय वर्ष (2016-17) में न्यूनतम तीन लाख का वार्षिक टर्नओवर होना चाहिए|
6. एजेंसी द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष (2016-17) का अंकेक्षित Financial Statements, आयकर रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा|
7. एजेंसी को किसी अन्य संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा|
8. निविदा मुहरबंद लिफाफों में उपलब्ध कराई जायेंगी| निविदा के दो भाग होंगे| निविदा के प्रथम भाग में तकनीकी निविदा (**अनुसूची-1**) तथा निविदा के द्वितीय भाग में वित्तीय निविदा (**अनुसूची-2**) मुहरबंद लिफ़ाफ़े में जमा करना है| लिफाफे के ऊपर **''मासिक एवं दैनिक किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु निविदा''** का स्पष्ट उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा|
9. विलम्ब से प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जाएगी।
10. तकनीकी निविदा के साथ आवेदन राशि रू० 500/- का 'बिहार बाल भवन किलकारी' के नाम डी. डी. जो पटना में भुगतेय हो, संलग्न करना आवश्यक है| डी. डी. संलग्न नहीं रहने पर उस निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि नन-रिफंडेबल होगी|
11. विशेष परिस्थिति में संस्था द्वारा तकनीकी निविदा में निहित शर्तों में शिथिलता बरती जा सकती है|
12. निविदा में किसी भी प्रकार की अपूर्ण व गलत सूचना पाये जाने पर उस निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
13. सफल निविदादाता को तीन दिन के अन्दर बिहार बाल भवन 'किलकारी' के साथ एक वर्ष की सेवा अनुबंध का करार रु०1,000/- (एक हजार रूपए) मात्र के Non-Judicial Stamp पर करना होगा, जिसकी राशि निविदादाता द्वारा वहन की जाएगी|
14. यह कार्य-निविदा, प्रथम चरण में कार्य अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा| संतोषप्रद सेवा पाये जाने पर अनुबंध की अवधि विस्तारित की जा सकती है|
15. निविदा स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संपूर्ण अधिकार निदेशक, बिहार बाल भवन 'किलकारी' का होगा|
16. निविदा स्वीकृति उपरान्त किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर निविदा निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार निदेशक, बिहार बाल भवन 'किलकारी' के पास सुरक्षित होगा|

17. सफल निविदादाता द्वारा कार्य आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर संबंधित सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना होगा|

<u>वाहन संबंधित नियम एवं शर्ते</u>

18. वाहन का व्यावसायिक निबंधन, रोडटैक्स, रोड परमिट, PUC (Pollution Under Control Certificate), बीमा एवं संबंधित आवश्यक दस्तावेज अद्यतन एवं छायाप्रति संलग्न हो।
19. मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जानेवाला वाहन वातानुकूलित हो तथा 10,000 कि० मी० से अधिक चला हुआ न हो।
20. वाहन अच्छे कन्डीशन, पूर्णतया सुसज्जित एवं साफ़-सुथरा रखने की सम्पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की कमी पाये जाने पर विपत्र से कटौती की जाएगी।
21. प्रारम्भ में एक माह के ट्रायल पर वाहन लिया जायेगा| संतोषप्रद सेवा पाये जाने पर सर्वप्रथम एक वर्ष का MoU किया जायेगा|
22. वाहन माह में लगभग 700 कि0 मी0 तक उपयोग में लिया जाएगा। कम चलने पर न्यूनतम चार्ज (700 कि0 मी0) तक दिया जाएगा।
23. सामान्यतः दस-ग्यारह घन्टे प्रतिदिन वाहन का उपयोग किया जायेगा। वाहन चालक की कार्य अवधि किलकारी के कार्यालय कार्यो के आवश्यकतानुसार निर्धारित होगी। किलकारी कार्यालय द्वारा तय किये गये समय पर वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता एजेंसी की होगी।
24. समय पर वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में आर्थिक दंड लगाया जायेगा|
25. उपलब्ध कराये जानेवाले वाहन के खराब होने/सर्विस इत्यादि अथवा वाहन चालक की अनुपस्थिति में दूसरा वाहन उपलब्ध कराने/अन्य वाहन चालक की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी निविदादाता एजेंसी की होगी।
26. वाहन मालिक (निविदादाता) एवं वाहन चालक को हमेशा फोन पर उपलब्ध रहना होगा|
27. वाहन का उपयोग किलकारी के कार्य क्षेत्र में आने वाले समस्त कार्यों के निष्पादनार्थ किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार वाहन बिहार के अंतर्गत कार्यक्षेत्र में टूर पर भी जा सकती है।
28. निविदादाता की सेवायें संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर संविदा/अनुबंध तुरन्त रद्द कर दिया जाएगा।
29. वाहन पर लगाये जाने वाले सभी प्रकार के व्यय (ईंधन, टैक्स/टोल टैक्स/ पार्किंग, साफ़-सफाई, मेंटेनेंस, बीमा, दुर्घटना) से संबंधित पूर्ण जिम्मेवारी निविदादाता एजेंसी की होगी।
30. वाहन चालक का बीमा निविदादाता एजेंसी को कराना होगा। वाहन चालक के वेतन का भुगतान निविदादाता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
31. अनुबंध के पश्चात् ईंधन की दरों में बढ़ोतरी होने पर अनुबंध में तय राशि का ही भुगतान किया जाएगा।
32. किसी अपरिहार्य कारणवश भुगतान बकाया होने पर भी कार्य जारी रखना होगा।
33. किसी भी प्रकार की अग्रिम राशि का भुगतान एजेन्सी या वाहन चालक को नहीं किया जाएगा।
34. माह की समाप्ति पर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले बिल पर/बिल के साथ वाहन संचालन के किलोमीटर का प्रमाण–पत्र देना आवश्यक होगा।
35. एजेंसी को अनुबंध समाप्त करने हेतु कम–से–कम एक माह पूर्व लिखित नोटिस देना होगा। 'किलकारी' विभागीय नियमों/परिरिथतियों पर तुरन्त अनुबंध निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
36. एजेंसी के भुगतान में से नियमानुसार स्त्रोत पर आयकर की कटौती की जाएगी।

37. वाहन परिचालन के दौरान वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने या चालक व किसी सवारी के चोटग्रस्त/क्षतिग्रस्त होने या वाहन से किसी जान/माल की क्षति होने पर वाहन मालिक जिम्मेवार होगा।
38. वाहन चालक को कम–से–कम तीन वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए।
39. वाहन चालक के लाइसेंस की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
40. वाहन चालक का Police Verification प्रमाण–पत्र देना होगा।
41. वाहन चालक को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
42. वाहन चालक मद्यपान अथवा गुटखा आदि का सेवन नहीं करेगा एवं अशोभनीय व्यवहार नहीं करेगा।
43. वाहन चालक को वाहन चालन के दौरान निर्धारित वर्दी धारण करना होगा जो एजेंसी द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।
44. वाहन चालक के बैठने का स्थान किलकारी द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं वाहन चालक खाली समय में किलकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित अन्य कार्य करेंगे।
45. वाहन चालक को वाहन की प्रतिदिन साफ़-सफाई का ध्यान रखना होगा।
46. वाहन चालक प्रतिदिन अपनी कार्य समाप्ति कार्यालय से आदेश लेकर करेंगे।
47. वाहन चालक को वाहन की लॉगशीट नियमित रूप से संधारित करनी होगी तथा किलकारी में संबंधित अधिकारी से प्रमाणित करवानी होगी।
48. वाहन चालक को माह में चार दिन का अवकाश अनुमान्य होगा|
49. एजेन्सी को कार्यालय द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
50. किलकारी कार्यालय द्वारा ली गई सेवाओं का प्रतिमाह विपत्र किलकारी द्वारा निश्चित किये गये प्रारूप में एजेन्सी द्वारा कार्यालय को दिया जाएगा। विपत्र का भुगतान कार्यालय द्वारा जाचोंपरान्त किया जाएगा।
51. एकरारनामा के निहित शर्त्तों का उल्लंघन/संस्था के निर्देशों का उल्लंघन की स्थिति में एकरारनामा रद्द किया जा सकता है या आर्थिक दण्ड लगाया जा सकता है।

हस्ताक्षर...
(निविदादाता/अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर मुहर सहित)

दिनांक:..............................

नाम:...
पदनाम:...
पता:...
....

बिहार बाल भवन 'किलकारी'

किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	एजेंसी का नाम	
2	डायरेक्टर/पार्टनर्स/प्रोपराइटर का नाम	
3	एजेंसी का पूर्ण पता (टेलीफोन/ मोबाइल नं० सहित)	
4	संपर्क व्यक्ति का विवरण (नाम, पता, टेलीफोन/मोबाइल नं०)	
5	एजेंसी का पटना में स्थानीय कार्यालय का पत्राचार का पता	
6	एजेंसी का निबंधन संख्या एवं तिथि	
7	वाहन उपलब्ध कराने संबंधित कार्यानुभव की अवधि (वर्ष/माह में) (साक्ष्य संलग्न करें)	
8	एजेंसी का GST संख्या, यदि हो तो (प्रति संलग्न करें)	
9	आयकर पैन नंबर (प्रति संलग्न करें)	
10	एजेंसी का वार्षिक टर्नओवर (न्यूनतम तीन लाख) (प्रमाणित प्रपत्र संलग्न करें)	
11	आवेदन राशि (रु०500/-) के D.D. की विवरणी (नॉन-रिफंडेबल राशि)	D.D. No. .... Date: .... Drawee Bank: ...., Payable at: ....
12	एजेंसी के पास उपलब्ध SUVs/MUVs के मॉडल के नाम एवं संख्या (सूची संलग्न करें)	

मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की विवरणी

13	मासिक किराए पर उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन का विवरण (मॉडल, निर्माण वर्ष, आदि)	
14	वाहन के व्यावसायिक निबंधन, रोड टैक्स, एवं परमिट का ब्यौरा (प्रति संलग्न करें)	
15	वाहन के बीमा प्रमाण-पत्र का ब्यौरा (प्रति संलग्न करें)	
16	वाहन के फिटनेस सर्टिफिकेट, PUC (Pollution Under Control Certificate) प्रमाण-पत्र का ब्यौरा (प्रति संलग्न करें)	

मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार उक्त दी गयी सूचनाएं पूर्ण एवं सही हैं। मैं/हम जानते हैं कि उक्त दिए गए विवरण में कोई भी सूचना या विवरण गलत पाया जाता है तो अनुबंध को निरस्त किया जा सकता है, अमानत राशि, यदि कोई हो तो, जब्त की जा सकती है एवं भविष्य में हमें ब्लैक-लिस्टेड किया जा सकता है।

एजेंसी का नाम: ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: .... हस्ताक्षर: ....

दिनांक: ....   एजेंसी का मुहर: ....

बिहार बाल भवन 'किलकारी'

किराए पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय निविदा प्रपत्र

1) मासिक किराये हेतु वाहन का दर

क्र.सं.	वाहन श्रेणी का नाम (SUV/ MUV)	वाहन किराया दर प्रतिमाह 700 कि०मी० (राशि रूपए में)	अतिरिक्त किराया दर प्रति कि०मी० (राशि रूपए में)

2) दैनिक किराये हेतु वाहन का दर

यात्रा के प्रकार	अवधि / दूरी	SUV		MUV	
		A.C. (राशि रू०में)	Non-A.C. (राशि रूपए में)	A.C. (राशि रू०में)	Non-A.C. (राशि रूपए में)
स्थानीय यात्रा	4 घंटे / 25 कि०मी०				
	8 घंटे / 40 कि०मी०				
	12 घंटे / 60 कि०मी०				
	विस्तारित ड्यूटी (01 घंटे तक)				
	विस्तारित ड्यूटी (प्रति कि.मी.)				
बाह्य यात्रा	बेसिक दर प्रति कि.मी.				
	न्यूनतम प्रभार्य कि.मी. प्रतिदिन				

नोट:-

1) एजेंसी को ध्यान रखना होगा कि निविदा दर स्पष्ट अक्षरों में लिखा हो ।
2) निविदा दर ईंधन सहित एवं समस्त करों को सम्मिलित करते हुए भरा जाए।
3) मासिक किराये पर दिए जाने वाले वाहन के चालक का मासिक मानदेय एवं वाहन का मेंटेनेंस एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
4) बाह्य यात्रा के दौरान मार्ग में पड़ने वाले समस्त टोल टैक्स का वहन एजेंसी द्वारा ही किया जायेगा।
5) बाह्य यात्रा के दौरान वाहन चालक के भोजन एवं आवासन आदि अतिरिक्त व्यय का वहन एजेंसी द्वारा किया जायेगा।

एजेंसी का नाम: ....

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम: .... हस्ताक्षर: ....

दिनांक: .... एजेंसी का मुहर: ....